

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय
महाप्रबंधक/संरक्षा
हाजीपुर

पत्र सं०: ईसीआर/संरक्षा बुलेटिन/01/22

दिनांक: 17.01.2022

विषय: ब्लॉक सेक्शन में ट्रैक मशीन के संचालन के दौरान बरती जानेवाली सावधानियों।

1. संक्षिप्त इतिहास/परिचय:

पूर्व मध्य रेल के सोनपुर मंडल में 10.01.2022 को जी-3 के तहत वर्गीकृत ब्लॉक नियम के उल्लंघन की एक घटना हुई। अप लाइन में सेमापुर-काढागोला रोड स्टेशन के बीच 12.45 बजे से 13.45 बजे तक ड्यूमेटिक मशीन को ब्लॉक दिया गया था। मशीन काढागोला रोड स्टेशन से कार्यस्थल के लिए रवाना हुआ और काम करने के बाद काढागोला रोड स्टेशन पर वापस आना था, लेकिन गाड़ी संख्या 03315 अप (कटिहार-समस्तीपुर मेमु सवारी गाड़ी) को काढागोला रोड स्टेशन से लाइन क्लीयर प्राप्त करने के बाद सेमापुर स्टेशन से काढागोला रोड स्टेशन के लिए भेजा गया जबकि मशीन अभी भी ब्लॉक सेक्शन में काम कर रही थी और ब्लॉक रद्द नहीं किया गया था। इस मामले में ड्यूटी पर कार्यरत स्टेशन मास्टर/सेमापुर ने ब्लॉक की समाप्ति को सुनिश्चित किये बिना गाड़ी संख्या 03315 अप का लाइन क्लीयर की मॉग की और स्टेशन प्रबंधक/काढागोला रोड ने बिना ट्रैफिक ब्लॉक को रद्द किये और ब्लॉक सेक्शन साफ है सुनिश्चित किये बगैर 03315 अप पैसेंजर का लाइन क्लीयर अनुमति दी। गाड़ी संख्या 03315 अप पैसेंजर को ब्लॉक सेक्शन में बैनर फ्लैग पर रोका गया।

2. महत्वपूर्ण तथ्य एवं अवलोकन :

मुख्यालय से प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी और मुख्य यातायात योजना प्रबंधक और मंडल से मंडल रेल प्रबंधक ने संबंधित अधिकारियों के साथ 10.01.2022 की देर शाम घटनास्थल का दौरा किया। काढागोला रोड स्टेशन और सेमापुर स्टेशनों का दौरा करने के दौरान ड्यूटी पर कार्यरत और उपलब्ध कर्मचारियों के साथ बातचीत करने (ड्यूटी पर तैनात स्टेशन प्रबंधक/काढागोला रोड को छोड़कर जो जाँच दल को रिपोर्ट नहीं कर सकें और अनुपस्थित रहे) एवं उपलब्ध स्टेशन रिकार्ड को देखने के बाद कुछ महत्वपूर्ण अवलोकन निम्नवत हैं -

- यह पाया गया कि सेमापुर स्टेशन के टीएसआर के पृष्ठ के शीर्ष पर ब्लॉक देने के संबंध में प्रविष्टि लिखी गयी थी। ऐसा प्रतीत हुआ कि घटना के बाद प्रविष्टि की गयी थी और प्राइवेट न0 को भी बाद में लिखा गया था। अप और डाउन दोनों दिशाओं की गाड़ियों से संबंधित प्रविष्टि एक ही पृष्ठ पर मिश्रित रूप से की गयी थी।
- G&SR 8.03 के तहत क्लास बी स्टेशन पर लाइन क्लीयर देने के पहले की शर्तों तथा G&SR 14.10 के तहत ब्लॉक सेक्शन को बंद करने की निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। ट्रैक मशीन के कार्य से संबंधित नियम संख्या 4.65 (सी) के (i), (ii), (ix) का पूर्णतया पालन नहीं किया गया।
- काढागोला रोड स्टेशन के शंटिंग आदेश फार्म संख्या T/806 को जाँचने पर पाया गया कि अंतिम T/806 दिनांक 30.12.2021 को जारी किया गया था। साइडिंग से ट्रैक मशीन को निकालने जो कि एक गैर सिग्नल लाइन है, से परिचालन मौखिक आदेश पर किया जा रहा था और शंटिंग आदेश फार्म संख्या T/806 को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा था। ब्लॉक मॉग पत्र एवं अनुमति के लिए एक छोटे कागज/पूरजा का इस्तेमाल हो रहा था जबकि इसके लिए G&SR में एक प्रपत्र निर्धारित है। ड्यूमेटिक मशीन को खतरे की स्थिति में सिग्नल को पार करने के लिए T/369(3b) के स्थान पर साधारण कागज मेमो का इस्तेमाल हो रहा था। PWI तथा स्टेशन कर्मचारी निर्धारित प्रक्रिया के बारे में अच्छी तरह अवगत नहीं थे।
- काढागोला रोड स्टेशन के स्टेशन संचालन नियमावली के पारा 6.8.4 में लिखा है कि काढागोला रोड स्टेशन तथा सेमापुर स्टेशनों के बीच Block Proving Axle Counter लगा हुआ है जबकि वास्तव में यह कार्यरत

नहीं है । Axle Counter केवल line verification के लिए है और यह ब्लॉक उपकरण से अन्तर्पाशित नहीं है ।

3. प्रक्रियागत विफलताएँ :

- स्टेशन प्रबंधक/काढागोला रोड स्टेशन ने रेल पथ निरीक्षक से सेफ्टी फिट प्रमाण पत्र लिये बिना तथा मशीन का क्लीयरेंस सुनिश्चित किये बिना ब्लॉक यंत्र को ट्रेन ऑन लाइन से बंद अवस्था में कर दिया तथा गाड़ी संख्या 03315 के लिए स्टेशन प्रबंधक/सेमापुर को लाइन क्लीयर प्रदान कर दिया । उन्होंने नियंत्रण कक्ष को भी सूचना नहीं दी तथा नियंत्रण कक्ष के साथ ब्लॉक के क्लीयर होने तथा ब्लॉक रद्द होने के संबंध में निजी संख्या का आदान-प्रदान भी सुनिश्चित नहीं किया । स्टेशन प्रबंधक/सेमापुर ने नियंत्रण कक्ष के साथ ब्लॉक क्लीयर होने तथा ब्लॉक रद्द होने के सूचना प्राप्त नहीं की तथा खंड नियंत्रक के साथ निजी संख्या का आदान-प्रदान भी नहीं किया । खंड नियंत्रक भी दोनों स्टेशनों के साथ ब्लॉक प्रदान करने एवं रद्दीकरण के समय निजी संख्या का आदान-प्रदान करने में विफल रहा ।
- रेल पथ निरीक्षक भी ब्लॉक प्राप्त करने एवं ब्लॉक रद्दीकरण की प्रक्रिया से अवगत नहीं थे । ट्रेक मशीन आपरेटर भी संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तत्परता नहीं दिखाई तथा केवल मौखिक आदेश पर ही अपना काम कर रहे थे ।
- काढागोला रोड स्टेशन पर ब्लॉक के लिए दिये गये मेमो का रिकार्ड तथा ब्लॉक रजिस्टर का अच्छी तरह अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था । लाईन अवरोध पट्टिका (Line Occupation Board) जो कि ब्लॉक देने के बाद ब्लॉक यंत्र पर लटकाये जाते हैं, काढागोला रोड स्टेशन पर उपलब्ध नहीं था ।
- यह पाया गया कि ब्लॉक यंत्र धुरा संगणक यंत्र (Axle Counter) से अन्तर्पाशित (Interlocked) नहीं है । यदि ब्लॉक यंत्र को धुरा संगणक यंत्र (Axle Counter) से अन्तर्पाशित किया गया होता तो स्टेशन प्रबंधक/काढागोला रोड स्टेशन ब्लॉक यंत्र से लाइन क्लीयर प्रदान नहीं कर पाते तथा ब्लॉक नियम उल्लंघन की घटना से बचा जा सकता था ।
- उक्त ब्लॉक को गाड़ी संख्या 03315 अप (कटिहार-समस्तीपुर मेमू सवारी गाड़ी) के फेस पर 12.45 बजे से दिया गया जबकि वह गाड़ी सेमापुर स्टेशन पर 12.44 बजे आ चुकी थी । यह गाड़ी संचालन हेतु नियंत्रक स्तर पर दोषपूर्ण योजना को दर्शाता है और इसके कारण स्टेशन प्रबंधक/सेमापुर पर यात्रियों का अनावश्यक दबाव बना ।

4. तात्कालिक कारवाई :

प्रथम दृष्टया तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर ड्यूटी पर तैनात स्टेशन प्रबंधक/काढागोला रोड स्टेशन, स्टेशन प्रबंधक/सेमापुर, खंड यातायात निरीक्षण/नौगछिया, खंड नियंत्रक तथा वरीय प्रशाखा अभियंता/रेलपथ (ट्रेक मशीन) कार्य में शिथिलता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है तथा इस घटना की जाँच के लिए कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अधिकारियों की एक समिति जिसमें परिचालन, संरक्षा, सिग्नल एवं दूरसंचार तथा इंजीनियरिंग विभाग के अधिकारी सम्मिलित हैं, का गठन कर दिया गया है ।

5. बरती जानेवाली सावधानियों :

ऐसा प्रतीत होता है कि ब्लॉक नियम के उल्लंघन की यह घटना कर्मचारियों द्वारा कई नियमों का अनुपालन न करने का परिणाम है । ट्रेक मशीनों के कार्य एवं संचालन के समय पालन किये जाने वाले विस्तृत निर्देश और प्रक्रियाएँ G&SR में नियम 4.65 के तहत वर्णित हैं । इन नियमावलियों एवं नियमों और प्रक्रियाओं का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए और ट्रेन परिचालन के दौरान कोई शॉटकट नहीं अपनाया जाना चाहिए । कुछ निम्नवत मूलभूत और महत्वपूर्ण सावधानियों एवं कार्यों का विवरण को पुनः प्रस्तुत किया जाता है जिसका अनुपालन सर्वसंबंधित द्वारा किया जाना आवश्यक है—

I. दोनों छोर के स्टेशन के स्टेशन प्रबंधक/स्टेशन मास्टर द्वारा बरती जानेवाली सावधानियों:—

- (i) सामान्य एवं सहायक नियम 4.65 में वर्णित अनुसूची (i)&(ii) के प्रारूप में ही किसी ट्रैफिक ब्लॉक एवं पावर ब्लॉक की माँग को ही स्टेशन प्रबंधक/स्टेशन मास्टर द्वारा स्वीकार किया जाना चाहिए ।

- (ii) ब्लॉक की अनुमति देने से पहले प्रभावित ब्लॉक सेक्शन के दूसरे सिरे पर स्थिति स्टेशन के स्टेशन मास्टर एवं खंड नियंत्रक से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान अवश्य ही किया जाना चाहिए ।
- (iii) ब्लॉक की अनुमति देने के बाद प्रभावित ब्लॉक सेक्शन में किसी गाड़ी के प्रवेश न होने देने के लिए स्टेशन मास्टर द्वारा सभी आवश्यक सावधानियाँ बरती जानी चाहिए । इसके लिए उसे स्टॉप प्लग/बटन कॉलर/लिवर कॉलर का उपयोग करना चाहिए एवं लाल रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग से लिखे गये 'लाइन अवरोध पट्टिका' को ब्लॉक यंत्र पर टॉग देना चाहिए जो स्टेशन मास्टर को ब्लॉक सेक्शन के अवरुद्ध होने की याद दिलाएँ ।
- (iv) दोनों छोर के स्टेशन मास्टर ब्लॉक सेक्शन के सभी समपार फाटकों पर कार्यरत समपार फाटक रक्षकों को टेलीफोन द्वारा प्राइवेट नम्बर के आदान-प्रदान के द्वारा मेटेरियल ट्रेन/टीआरटी/पीक्यूआरएस, ट्रैक मशीन, टॉवर बैगन की संख्या जिन्हें कार्य करने की अनुमति दी गयी है, के बारे में सूचित करेगा ।
- (v) संबंधित स्टेशन मास्टर ब्लॉक रजिस्टर, पावर ब्लॉक रजिस्टर एवं ट्रेन सिग्नल रजिस्टर में इस संबंध में लाल स्याही में प्रविष्टि दर्ज करेंगे । स्टेशन प्रबंधक/स्टेशन मास्टर दिये गये ब्लॉक से संबंधित रिकॉर्ड एवं फार्म को सुरक्षित रखेंगे ।
- (vi) शंटिंग का कार्य निर्धारित प्रारूप पत्र T-806 एवं खतरे की स्थिति में सिग्नल को पार करने के लिए ट्रैक मशीन चालक/लोको पायलट को उचित प्राधिकार दिया जाएगा ।

II. रेल पथ निरीक्षक/ब्लॉक लेनेवाले/मशीन/टॉवर बैगन के प्रभारियों द्वारा बरती जानेवाली सावधानियाँ:—

- (i) सामान्य एवं सहायक नियम 4.65 में वर्णित अनुसूची (i)&(ii) में अनुमोदित प्रारूप में ही किसी ट्रैफिक ब्लॉक एवं पावर ब्लॉक की माँग करने हेतु माँगपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए ।
- (ii) प्रभारी व्यक्ति (ट्रैक मशीन ब्लॉक) /समग्र प्रभारी (एकीकृत ब्लॉक) कार्यस्थल की सुरक्षा एवं बाधा होने की दशा में बगल के सटे लाईन की भी सुरक्षा के लिये उत्तरदायी होंगे, यदि कोई हो । वह कार्य समाप्ति के बाद ट्रैक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेवार होगा ।
- (iii) कार्य करने के क्रम में जब मानवसहित अथवा मानवरहित समपार फाटक को पास करने की आवश्यकता हो तो प्रत्येक मटेरियल ट्रेन, टीआरटी/पीक्यूआरएस, ट्रैक मशीन, टावर बैगन समपार फाटक के पहले रुकेंगे और समपार फाटक पर संरक्षा सुनिश्चित करने के बाद ही पास करेंगे ।
- (iv) प्रभारी व्यक्ति (ट्रैक मशीन ब्लॉक)/समग्र प्रभारी (एकीकृत ब्लॉक) मटेरियल ट्रेन/टीआरटी/पीक्यूआरएस, ट्रैक मशीन, टावर बैगन की सुरक्षा के लिए हमेशा बैनर फ्लैग के साथ चार कुशल फ्लैगमैन को साथ रखेगा जिनमें से प्रत्येक अपने साथ, 10 पटाखा सिग्नल (डेटोनेटर) और लाल हाथ सिग्नल रखेगा । कार्यस्थल के दोनों ओर 600 मीटर की दूरी पर एक और दूसरा फ्लैगमैन कार्यस्थल से 1200 मीटर की दूरी पर रुकने का हाथ सिग्नल दिखाता हुआ खड़ा रहेगा ।
- (v) कुछ ट्रैक मशीन/मशीनों में दोहरी लाईन या यार्ड में काम करते समय बगल के सटे लाईन को उल्लंघन करने की प्रवृत्ति वाले होते हैं । बीआरएम अपना ब्लेड फैलाते समय बगल के सटे लाईन को बाधित कर सकते हैं । यदि काम करते समय मशीन का कोई भाग बगल के सटे लाईन को बाधित करने वाला हो तो प्रभारी व्यक्ति ट्रैक मशीन ब्लॉक/समस्त प्रभारी (एकीकृत ब्लॉक) दोनों लाइनों को ब्लॉक करने हेतु स्टेशन मास्टर को लिखित आग्रह करेगा एवं ऐसे में कार्य तभी प्रारंभ किये जायेंगे जब दोनों लाइनों को ब्लॉक करने की अनुमति स्टेशन मास्टर द्वारा दे दी गई हो और दोनों लाइनों को सुरक्षित कर दिया गया हो ।
- (vi) प्रभारी व्यक्ति ट्रैक मशीन ब्लॉक/समग्र प्रभारी (एकीकृत ब्लॉक) कार्यस्थल की सुरक्षा एवं बाधा होने की दशा में बगल के सटे लाईन की भी सुरक्षा के लिये उत्तरदायी होंगे, यदि कोई हो । धूल भरे वातावरण या तीव्र ध्वनी प्रदूषण एवं बड़ी संख्या में मजदूरों के काम करने के दौरान वह अतिरिक्त सुरक्षा के लिए कदम उठाना सुनिश्चित करेगा ।
- (vii) एकीकृत ब्लॉक के दौरान, समग्र प्रभारी (एकीकृत ब्लॉक) मटेरियल ट्रेन/टीआरटी/पीक्यूआरएस, टावर बैगन एवं ट्रैक मशीन के प्रभारियों के साथ समन्वय कर संरक्षा सुनिश्चित करेंगे ।
- (viii) प्रभारी व्यक्ति (ट्रैक मशीन ब्लॉक)/समग्र प्रभारी (एकीकृत ब्लॉक)/टावर बैगन पावर ब्लॉक लेने के लिए उत्तरदायी होंगे, यदि आवश्यकता हो ।

- (ix) कार्य की समाप्ति एवं ब्लॉक खंड को अवरोधमुक्त किये जाने के बाद सामान्य एवं सहायक नियम 4.65 में वर्णित अनुसूची-III में ब्लॉक प्रभारी द्वारा ट्रैक फिट से संबंधित प्रमाण पत्र स्टेशन प्रबंधक/स्टेशन मास्टर को सौंपा जाएगा । वह ब्लॉक से संबंधित अनुमति पत्र भी ऑन ड्यूटी स्टेशन प्रबंधक/स्टेशन मास्टर को सौंपेगा ।
- (x) ब्लॉक प्रभारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि ट्रैक मशीन का चालक सभी संरक्षा नियमों का पालन कर रहा है एवं उचित प्राधिकार पर ही मशीन का संचालन करेंगे ।

III. खंड नियंत्रक द्वारा बरती जाने वाली सावधानियाँ :-

- (i) खंड नियंत्रक यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी प्रकार के ब्लॉक की योजना या समयावधि इस प्रकार हो कि रोड साइड के किसी भी स्टेशन पर किसी यात्री गाड़ी का दीर्घकालीन विलंबन न हो तथा स्टेशन प्रबंधक/स्टेशन मास्टर पर यात्रियों का अनावश्यक दबाव नहीं आए ।
- (ii) वह इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जिस ब्लॉक खंड में ट्रैफिक/पावर ब्लॉक दिया जा रहा है उसमें कोई भी गाड़ी का संचालन नहीं हो रहा है ।
- (iii) यह सुनिश्चित कर लेने के बाद की प्रभावित ब्लॉक खंड में कोई गाड़ी नहीं है, खंड नियंत्रक संबंधित स्टेशन प्रबंधक/स्टेशन मास्टर के साथ प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करने के बाद ही ब्लॉक की अनुमति देगा । वह इस संबंध में रजिस्टर में एवं कंट्रोल चार्ट पर आवश्यक प्रविष्टि दर्ज करेगा ।
- (iv) खंड नियंत्रक इंजीनियरिंग कंट्रोल एवं टीपीसी कंट्रोल को ब्लॉक/एकीकृत ब्लॉक दिये जाने की अनुमति के बारे में सूचित करेंगे । इंजीनियरिंग कंट्रोल एवं टीपीसी कंट्रोल, कंट्रोल कार्यालय से ब्लॉक की मॉनिटरिंग करेंगे ।
- (v) ब्लॉक देने वाले स्टेशन के द्वारा ब्लॉक समाप्त किये जाने/रद्द किये जाने तथा सामान्य एवं सहायक नियम 4.65 के अनुसूची-III के निर्धारित प्रारूप में ट्रैक फिट से संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त होने की सूचना प्राप्त होने पर खंड नियंत्रक द्वारा संबंधित कंट्रोल द्वारा ब्लॉक समाप्ति की सूचना की जाँच की जायेगी और आश्वस्त हो जाने के बाद वह दोनों संबंधित स्टेशनों से प्राइवेट नम्बर का आदान-प्रदान करेगा एवं ब्लॉक की समाप्ति करेगा । इसके बाद ही उस खंड में किसी गाड़ी के परिचालन की अनुमति खंड नियंत्रक द्वारा दी जाएगी ।

सभी सर्वसंबंधित द्वारा इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए । मंडल के पर्यवेक्षक एवं अधिकारी नियमित एवं औचक निरीक्षण करेंगे और उपरोक्त के अनुपालन की मॉनिटरिंग करेंगे ।

(शिव कुमार प्रसाद)
प्रधान मुख्य संरक्षा अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. महाप्रबंधक के सचिव – महाप्रबंधक महोदय के सादर सूचनार्थ ।
2. अपर महाप्रबंधक, प्र० मु० परि० प्र०, प्र० मु० इंजी०, प्र० मु० वि० इंजी०, प्र० मु० सि० एवं दू० सं० इंजी०, प्र० मु० यां० इंजी० – को सादर सूचनार्थ ।
3. मुख्य यातायात योजना प्रबंधक, मुख्य ट्रैक इंजी०, मु० सि० इंजी०, मु० वि० इंजी०, मु० वि० इंजी०, मु० वि० इंजी०
4. मंडल रेल प्रबंधक/धनबाद, दीन दयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर ।
5. वमसं०, वमपरि०, वमविई०(टीआडी), वमविई०(परि०), वमसिदूई०, वमअभि०(सम०)/धनबाद, दीन दयाल उपाध्याय नगर, दानापुर, सोनपुर एवं समस्तीपुर ।
6. सभी सर्वसंबंधित पर्यवेक्षक एवं रेल कर्मचारी ।